न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम मूलचन्द पुत्र हणमानराम गुर्जर त्रिसिंझा सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना–पत्र नम्बर 234/2020 **GCMS No.2020/00347**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.10.2023	पत्रावली अप्रार्थी मूलचन्द पत्र हणमानराम जाति गुर्जर निवासी त्रिसिंझा सरगोठ एवं उनके अधिवक्ता श्री अशोकपुरी द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी मूलचन्द पुत्र हणमानराम गुर्जर सा. त्रिसिंझा के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 187/95 रकबा 0.08 हैक्टर को अप्रार्थी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 06.10.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है अप्रार्थी ने उपरोक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में नही लिया जा रहा है, माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि को विकसित करने एवं कृषि कार्य हेतु ऋण आदि लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे भूमि का विकास व कृषि कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो रहा है, अप्रार्थी के विरूद्व की गई धारा 212 आर. टी. एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें ताकि वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य ऋण लिया जा सके एवं कृषि कार्य के लिए विकसित किया जा सके, अप्रार्थी अन्डर टेकिंग देता है कि भविष्य में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग किये जाने से पूर्व संबंधित प्राधिकृत प्राधिकारी से विधिवत संपरिवर्तन करवाकर ही गैर कृषि कार्य में लेगा। अप्रार्थी के विरूद्व की गई धारा 212 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें ताकि वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य हेतु ऋण लिया जा सके एवं कृषि कार्य के लिए विकसित किया जा सके। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:09:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)